



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092026-276562
CG-DL-E-28092026-276562

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5117]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 5117]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

का.आ. 5324(अ).— यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के तहत जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1585 (अ), दिनांक 10 नवंबर, 2005 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 12.600 किमी से 84.700 किमी (इंदौर-खालघाट खंड) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ. 2070 (अ) दिनांक 07.08.2009 और का.आ. 3098 (अ) दिनांक 30.09.2016, का.आ. 2180 (अ) दिनांक 22. जून, 2016, और का.आ. 3451(अ) दिनांक 15 नवंबर, 2016 के द्वारा जारी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 (पुराना एनएच 3) के डिज़ाइन किमी 0.000 से 77.320; (मौजूदा चेनज किमी 12.600 से 84.700 (बाईपास की अतिरिक्त लंबाई को ध्यान में रखते हुए लगाए गए किमी पथरों के अनुसार किमी 89+920) के इंदौर से खलघाट खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 36.349 किमी की निवल सड़क

लंबाई [सारणी-2] और 7.77 किमी [सारणी-4] (0.777 किमी लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर से और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 41.464 किमी लंबाई वाले बाईपास [सारणी -3] के लिए आधार दर का डेढ़ गुणा की दर से शुल्क उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात् :-

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	जिस दर पर शुल्क लिया जाता है
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सोनवे गांव के पास एनएच-52 (पुराना एनएच 3) के किमी 4.000 (किमी मौजूदा 16.600) पर	1.700 [बाईपास की लंबाई (10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 100%।
मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट गांव के पास एनएच-52 (पुराना एनएच 3) के किमी 75.700 (मौजूदा किमी 88.300) पर	34.649 [बाईपास की लंबाई (10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 100%।
कुल	36.349	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा : -

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय (60 मीटर से अधिक लंबी संरचना को छोड़कर)		दर, जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किलोमीटर में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सोनवे गांव के पास एनएच-52 (पुराना एनएच 3) के किमी 4.000 (किमी मौजूदा 16.600) पर	महू	चेनेज. किमी 1.700 (मौजूदा चेनेज किमी 14+300)	चेनेज. किमी 29.300 (मौजूदा चेनेज किमी 41.900)	27.537	142.15	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दर का 150%
मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट गांव के पास एनएच-52 (पुराना एनएच 3) के किमी 75.700 (मौजूदा किमी 88.300) पर	गुजरी	55+200 (मौजूदा चेनेज 67+800)	60+300 (मौजूदा चेनेज किमी 73+400)	5.327	52.68	
	धामनोद	65+200 से (मौजूदा चेनेज किमी 77+800)	73+500 किमी (मौजूदा चेनेज किमी 86+400)	8.600	54.10	
कुल				41.464		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके संरचनाओं की लंबाई को राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी -4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सोनवे गांव के पास एनएच- 52 (पुराना एनएच 3) के किमी 4.000 (किमी मौजूदा 16.600) पर	0.063	0.63	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 100%।
मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट गांव के पास एनएच-52 (पुराना एनएच 3) के किमी 75.700 (मौजूदा किमी 88.300) पर	0.714	7.14	
कुल	0.777	7.77	

वर्तमान विवरण इस प्रकार है:-

सोनवे टोल प्लाजा

	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	6.213 (मौजूदा चेनेज किमी 18.813)	6.276 (मौजूदा चेनेज किमी 18.876)	बड़ा पुल	0.063
कुल				0.063*

खलघाट टोल प्लाजा

	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	33.019 (मौजूदा चेनेज किमी 45+619)	33.082 (मौजूदा चेनेज किमी 45+682)	बड़ा पुल	0.063
2	43.419 (मौजूदा चेनेज किमी)56.019)	43.797 (मौजूदा चेनेज किमी 56+397)	बड़ा पुल	0.378
3	58.267 (मौजूदा चेनेज किमी)70.867)	58.430 (मौजूदा चेनेज किमी 71+030)	बड़ा पुल	0.273
कुल				0.714*

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.000 रुपये (तीन सौ साठ रुपये मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी – 5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफ़ा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यत की अवधि
एक तरफ़ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की दो-तिहाई राशि	पचास	भुगतान की तिथि से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क देना होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
10. उपर्युक्त सारणी- 1 यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1569.05 करोड़ रुपये है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एमपीडीआईवी-21016/123/2025-पीआईयू इंदौर/ ई-266193]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2026

S.O. 5324(E).— Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1585 (E);, dated the 10th November, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the section from Km. 12.600 to Km. 84.700 (Indore - Khalghat section) of National Highway No.3 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and in suppression to Gazette Notification S.O. 2070 (E) dated 07.08.2009 and amendments issued vide S.O. 3098(E) dated 30.09.2016, S.O. 2180(E) dated 22nd June 2016 & S.O. 3451(E) dated 15th November, 2016 the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 36.349 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 7.77 km (having aggregate length of 0.777 km [Table-4]) and at one and one half times the base rate for bypasses having aggregate length of 41.464 Km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four or more lane of Indore to Khalghat section of NH – 52 from design kilometer 0.000 to 77.320 (Existing Ch Km 12.600 to Km. 84.700 (Km 89+920 as per installed KM Stones after considering the additional length of bypasses)) of National Highway number 52 (Old NH 3) in the State of Madhya Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 4.000 (existing km 16.600) of NH-52 (Old NH-3) near Village Sonway in District Indore in Madhya Pradesh	1.700 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 75.700 (existing km 88.300) of NH-52 (Old NH-3) near Village Khalghat in District Dhar in Madhya Pradesh	34.649* [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	36.349	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:-

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable (excluding structure > 60 m)		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 4.000 (existing km 16.600) of NH-52 (Old NH-3) near Village Sonway in District Indore in Madhya Pradesh	Mhow	Ch. Km 1.700 (Existing Ch Km 14+300)	Ch. Km 29.300 (Existing Ch Km 41.900)	27.537	142.15	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 75.700 (existing km 88.300) of NH-52 (Old NH-3) near Village Khalghat in District Dhar in Madhya Pradesh	Gujri	55+200 (Existing Ch Km 67+800)	60+300 (Existing Ch Km 73+400)	5.327	52.68	
	Dhamnod	65+200 to (Existing Ch Km 77+800)	73+500 Km (Existing Ch Km 86+400)	8.600	54.10	
Total				41.464		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 4.000 (existing km 16.600) of NH-52 (Old NH-3) near Village Sonway in District Indore in Madhya Pradesh	0.063	0.63	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 75.700 (existing km 88.300) of NH-52 (Old NH-3) near Village Khalghat in District Dhar in Madhya Pradesh	0.714	7.14	
Total	0.777	7.77	

^The detail is as under:
Sonway toll plaza

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	6.213 (Ex CH Km 18.813)	6.276 (Ex CH Km 18.876)	Major Bridge	0.063
Total				0.063*

Khalghat Toll Plaza

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	33.019 (Ex Ch Km 45+619)	33.082 (Ex Ch Km 45+682)	Major Bridge	0.063
2	43.419 (Ex Ch Km 56.019)	43.797 (Ex Ch Km 56+397)	Major Bridge	0.378
3	58.267 (Ex Ch Km 70.867)	58.430 (Ex Ch Km 71+030)	Major Bridge	0.273
Total				0.714*

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 360 (Three Hundred and Sixty Only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per Kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1569.05 crores. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. MPDIV-21016/123/2025-PIU Indore/E-266193]

CHEITNA NAND SINGH, Jt. Secy.